मु० नं० 30/2020 मीनादेवी श्रीमती v/s देवीलाल
प्रार्थना-पत्र 212 R.T. Act

16.11.22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अग्रिम सं० 2 के 8 में सुना। तथ्यों होने पत्रावली दिनांक 7.12.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

7/12/22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूल वाद प्रार्थना-पत्र 07 R11 CPC स्वीकार होकर वादी का वाद खारिज हो चुका है। इसलिए अब प्रार्थना-पत्र 212(2) R.T. Act चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो तथा पत्रावली चस्पां दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)